

सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद- आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 04.10.2025

जनपद आजमगढ़

01.थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़: साइबर जागरूकता अभियान के तहत कस्बा रानी की सराय जनपद आजमगढ़ में प्रचार - प्रसार कर साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया ।

दिनांक: 03.10.2025 श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा माह अक्टूबर (National Cyber Security Awareness Month) (NCSAM) में साइबर जागरूकता माह मनाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं । जिसके क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात नोडल अधिकारी साइबर क्राइम व क्षेत्राधिकारी सदर सहायक नोडल अधिकारी आजमगढ़ के निर्देशन में आज दि० 03.10.2025 को कस्बा रानी की सराय, आजमगढ़ में साइबर जागरूकता अभियान के तहत साइबर अपराधों जैसे डिजीटल अरेस्ट में फर्जी पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, साइबर पुलिस अधिकारी बनकर पैसे की मांग करना , मोबाइल फोन में फर्जी एप्प डाउनलोड कराकर या लिंक पर क्लिक कराकर ठगी करना , गिफ्ट / लाटरी के नाम पर स्कैम, सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, स्नैपचैट आदि) पर अन्जान व्यक्तियों / महिलाओं से दोस्ती करना, म्यूट अकाउंट, फर्जी मोबाइल नम्बर आदि के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा लाउडहेलर चलाकर तथा पम्पलेट वितरण कर प्रचार – प्रसार करते हुए आमजनमानस को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया गया ।

साइबर अपराध की घटना हो जाने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर फोन कर शिकायत दर्ज कराने तथा साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in की जानकारी दी गई ।

उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी:

- उ०नि० शिव कुमार उपाध्याय थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
- हे०मु० सुखनन्दन सिंह यादव थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
- का० महिपाल यादव थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
- म०का० पुष्पा कुशवाहा थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़

02. थाना फूलपुर: साइबर फ्राडका 11,200 रुपया आवेदक के खातों में वापस कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.09.2025 को मंगला प्रसाद पुत्र रामशब्द निवासी चमराडीह थाना फूलपुर आजमगढ़ की बहन कविता के पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके आवेदिका का रिश्तेदार होने की बात बताकर 11,200 रु० का साइबर फ्राड कर दिया गया था जिसके सम्बन्ध में कविता द्वारा साइबर हेल्पलाइन नं० 1930 पर शिकायत पंजीकृत करायी गयी जिसका **Ack No. 3310925xxxxxxx** है । शिकायत पर कार्यवाही करते हुए कविता का फ्राड हुआ 11,200 रु० कविता के खाते में वापस करा दिया गया है ।

रुपयावापसीकाविवरण:-

मंगला प्रसाद पुत्र रामशब्द निवासी चमराडीह थाना फूलपुर आजमगढ़ की बहन कविता के साथ फ्राड हुए 11,200 रु0 की जाँच की गयी तो ज्ञात हुआ कि कविता के खाते से कटा 11,200 रु0 से <https://www.giva.co> वेबसाइट से ज्वेलरी खरीद लिया गया था। प्रकरण के सम्बन्ध www.giva.co कम्पनी के नोडल अधिकारी को विवरण से अवगत कराया गया जिस पर नोडल अधिकारी द्वारा 11,200 रु0 की खरीददारी को रद्द करते हुए भेजे गये नोटिस के अनुसार कविता के खाते में 11,200 रूपया (**REFUND**) अवमुक्त कराया जा चुका है।

03. थाना अतरौलिया: गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 27.07.2025 को थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा थाना अतरौलिया के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 247/25 धारा 2(b)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 बनाम अभियुक्तगण 1.विजय कुमार पुत्र जगबन्धू निवासी अचलीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 2. प्रेमशेखर पुत्र श्रीपत निवासी गनपतपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 3.राजन कुमार पुत्र राम किशोर निवासी खपुरा (खानपुर टण्डवा) थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 4.वीरेन्द्र उर्फ विजेन्द्र राजभर पुत्र लालजीत राजभर निवासी बोधीपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों का संगठित आपराधिक गिरोह है जिसका गैंगलीडर विजय कुमार पुत्र जगबन्धू सा0 अचलीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़आजमगढ़ है। इस गैंग के द्वारा चोरी जैसे जघन्य अपराध अपराध कारित किया गया है।

गिरफ्तारीकाविवरण:-

दिनांक 03.10.2025 को उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला मय हमराह द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रेमशेखर पुत्र श्रीपत निवासी गनपतपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष को गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे अण्डरपास गदनपुर के नीचे ग्राम गदनपुर से कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 08.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृतअभियोग-

1. मु0अ0स0 247/25 धारा 2(b)(1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986

गिरफ्तारअभियुक्त

1. प्रेमशेखर पुत्र श्रीपत निवासी गनपतपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष

आपराधिकइतिहास-

प्रेमशेखर पुत्र श्रीपत निवासी गनपतपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष

क्र0	थाना	मु0अ0सं0	पंजीकृत धारा
01	अतरौलिया	173/24	457/380/411/413 भादवि
02	अतरौलिया	208/24	379/411/413 भादवि
03	अतरौलिया	247/24	303/317(2)/317(4) बीएनएस
04	अतरौलिया	400/24	303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस
05	अतरौलिया	401/24	303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस

04.थाना- फूलपुर: हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्वकीघटना/इतिहास

अवगत कराना है कि दिनांक 02.10.2025 आवेदक राममिलन यादव पुत्र श्यामलाल यादव निवासी ग्राम भाटिनपारा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दी कि आवेदक का लडका अंकित यादव उम्र करीब 16 वर्ष के कोचिंग पढ़कर घर वापस आते समय विपक्षीण द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने के लिए लाठी डण्डा, ईट, पत्थर से मारकर बुरी तरह घायल कर देना तथा भाग कर घर आने पर उपरोक्त लोगो द्वारा घर पर आकर पुनः आवेदक के पुत्र अंकित यादव, अंगद यादव, हीरानन्द, व आवेदक तथा आवेदक की पत्नी अनरमा यादव को लाठी डण्डा ईट पत्थर से बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिया गया व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-475/25 धारा 3(5)/109/115(2)351(3) बीएनएस पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 अनुराग कुमार पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारीकाविवरण/घटनाकाअनावरण

दिनांक 02.10.2025 को उ0नि0 अनुराग कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त लोरिक यादव पुत्र रामकुमार यादव सा0 भाटिनपारा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को भोरमऊ मौर्या बस्ती के तरफ जाने वाली रोड पर शारदा नहर पुल के पास से से समय करीब 12.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

05.थाना- फूलपुर: शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास -

अवगत करना है कि दिनांक 02.10.2025 वादिनी मुकदमा थाना- फूलपुर, जनपद -आजमगढ़ ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 01.10.2025 को विपक्षी पवन पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम- मानपुर तलवा थाना- फूलपुर, जनपद- आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष को स्कूल जाते समय बहला-फूसला कर भगा ले गया तथा शादी की झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 478/2025 धारा 137(2)/69/351(3)/352 बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट पंजीकृत होकर विवेचना व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण -

दिनांक 03.10.2025 को व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पवन कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मानपुर तलवा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को पावर हाउस तिराहा टेउगां के पास से समय करीब 10.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- पवन कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मानपुर तलवा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0-478/25 धारा 137(2)/69/351(3)/352 बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1- व0उ0नि0 गंगा राम बिन्द मय हमराह का0 सौरभ यादव व का0 इरफान अहमद थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

06. मिशन शक्ति अभियान के तहत पीडिता/वादिनी को भरण-पोषण हेतु कुल 01 लाख 34 हजार रूपयें इनके पति के द्वारा वादिनी के खातों में जमा कराया गया।

अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय प्रथम आजमगढ़ में लंबित परिवाद मु0न0 21/2016 अन्तर्गत धारा128 दंड प्रक्रिया संहिता व 144 **BNS** भरण पोषण हेतु सविस्ता बनाम आलम में विचारण के दौरान भरण पोषण हेतु अभियुक्त मो0 आलम पुत्र अबुल केश निवासी मोहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को आदेशित किया गया था। परन्तु अभियुक्त उपरोक्त बादस्तूर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहा था, जिस क्रम में वसूली वारंट दिनांक 22/008/25 को एक पक्षीय आदेश के क्रम में निर्गत किया गया था।

जिसके अनुपालन में थाना गंभीरपुर की मिशन शक्ति टीम द्वारा उक्त अभियुक्त को पकड़ कर माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराते हुये पीड़िता को माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि दिलायी गयी।

उल्लेखनीय है कि अवेदिका की शादी दिनांक- 20/12/2013 को हुयी थी, उसका विवाद दिनांक- 02/03/14 से चल रहा है। उसका एक 11 वर्ष का बच्चा भी है। विवाद से परेशान होकर उसके द्वारा माननीय न्यायालय में 03/04/2014 को वाद योजित किया गया था।

विचारण के क्रम में माननीय परिवार न्यायालय आजमगढ़ द्वारा निर्वाह भत्ता दिलाने हेतु आरोपी उपरोक्त से वसूली कर आवेदिका को दिलाये जाने हेतु मा0 न्यायालय द्वारा वसूली वारंट निर्गत किया गया था।

आवेदिका सविस्ता उपरोक्त द्वारा मा0 न्यायालय निरन्तर जाकर उक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु पैरवी की जा रही थी। उक्त वसूली वारंट के निष्पादन के क्रम में थाना गम्भीरपुर पर नियुक्त उ0नि0 रामाश्रय प्रसाद व महिला हेल्प व मिशन शक्ति केन्द्र गम्भीरपुर की संयुक्त टीम द्वारा अपने अथक प्रयास एवं पूर्ण मनोयोग से तत्परता दिखाते हुए मा0 न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन कराते हुए काफ़ी दिनों से परेशान पीड़िता को अभियुक्त मो0 आलम उपरोक्त से आवेदिका के यूनियन बैंक के खातों में क्रमशः 49,000 रुपये, 49,000 रुपये, 12,500 व 34000 रुपये (कुल 134000 रुपये) 01 अक्टूबर तक जमा करवा कर निर्गत वसूली वारंट का निस्तारण कराया गया।

महिला/वादिनी सविस्ता उपरोक्त का द्वारा जनपद की पुलिस, मा0 न्यायालय व सरकार का धन्यवाद दिया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत पीड़िता/वादिनी को भरण-पोषण हेतु कुल 01 लाख 34 हजार रूपयें इनके पति के द्वारा वादिनी के खातों में जमा कराया गया।

अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय प्रथम आजमगढ़ में लंबित परिवाद मु0न0 21/2016 अन्तर्गत धारा128 दंड प्रक्रिया संहिता व 144 **BNS** भरण पोषण हेतु सविस्ता बनाम आलम में विचारण के दौरान भरण पोषण हेतु अभियुक्त मो0 आलम पुत्र अबुल केश निवासी मोहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को आदेशित किया गया था। परन्तु अभियुक्त उपरोक्त बादस्तूर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहा था, जिस क्रम में वसूली वारंट दिनांक 22/008/25 को एक पक्षीय आदेश के क्रम में निर्गत किया गया था।

जिसके अनुपालन में थाना गंभीरपुर की मिशन शक्ति टीम द्वारा उक्त अभियुक्त को पकड़ कर माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराते हुये पीड़िता को माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि दिलायी गयी।

उल्लेखनीय है कि अवेदिका की शादी दिनांक- 20/12/2013 को हुयी थी, उसका विवाद दिनांक- 02/03/14 से चल रहा है। उसका एक 11 वर्ष का बच्चा भी है। विवाद से परेशान होकर उसके द्वारा माननीय न्यायालय में 03/04/2014 को वाद योजित किया गया था।

विचारण के क्रम में माननीय परिवार न्यायालय आजमगढ़ द्वारा निर्वाह भत्ता दिलाने हेतु आरोपी उपरोक्त से वसूली कर आवेदिका को दिलाये जाने हेतु मा0 न्यायालय द्वारा वसूली वारंट निर्गत किया गया था।

आवेदिका सविस्ता उपरोक्त द्वारा मा0 न्यायालय निरन्तर जाकर उक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु पैरवी की जा रही थी। उक्त वसूली वारंट के निष्पादन के क्रम में थाना गम्भीरपुर पर नियुक्त उ0नि0 रामाश्रय प्रसाद व महिला हेल्प व मिशन शक्ति केन्द्र गम्भीरपुर की संयुक्त टीम द्वारा अपने अथक प्रयास एवं पूर्ण मनोयोग से तत्परता दिखाते हुए मा0 न्यायालय के आदेश का

अक्षरशः पालन कराते हुए काफ़ी दिनों से परेशान पीड़िता को अभियुक्त मो० आलम उपरोक्त से आवेदिका के यूनियन बैंक के खातों में क्रमशः 49,000 रुपये, 49,000 रुपये, 12,500 व 34000 रुपये (कुल 134000 रुपये) 01 अक्टूबर तक जमा करवा कर निर्गत वसूली वारंट का निस्तारण कराया गया।

महिला/वादिनी सविस्ता उपरोक्त का द्वारा जनपद की पुलिस, मा० न्यायालय व सरकार का धन्यवाद दिया गया।

जनपद – मऊ

01. डकैती की योजना बनाते हुए 06 शातिर बदमाश गिरफ्तार कब्जे से दो अदद तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व चोरी किये गये माल व नगदी तथा घटना में प्रयुक्त किये जा रहे चार पहिया ह्यन्डई की वैन्यू कार व बुलेट मोटरसायकिल बरामद ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में थाना घोसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 03.10.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर असना नहर के पास सुल्तानपुर रोड पर रात्रि 1:00 बजे 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो अदद तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व उनके द्वारा चोरी किये गये चार जोड़ी पायल सफेद धातू व दो जोड़ी विछिया सफेद धातू व एक जोड़ी पीली धातु कान का छाला व 5000/ रु० नगद बरामद करते हुए घटना में प्रयुक्त किये जा रहे चार पहिया ह्यन्डई की वैन्यू कार व बुलेट मोटरसायकिल को भी मौके से बरामद किया गया। कडाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा थाना क्षेत्र में दिनांक 12/13.07.2025 की रात्रि में थानीदास के यूपी.बडौदा ग्रामीण बैंक में घुस कर लाकर तोड़ने की बात बताते हुए तथा दिनांक 12/13.08.2025 की रात्रि में ग्राम पटखौली में रामदवन यादव के मकान में चोरी की घटना की अंजाम देने की बात बताते हुए तथा दिनांक 02/03.09.2025 की रात्रि में मोहम्मदपुर हसनपुर में मनई गुप्ता के बन्द पडे मकान में हुई चोरी की घटना करने की बात बतायी गयी तथा चोरी किये गये माल में से उक्त माल व रुपये बरामद कराये गये। इन घटनाओं के सम्बन्ध में थाना घोसी में पूर्व में मु०अ०सं० 408/25 धारा 305 बीएनएस व मु०अ०सं० 444/25 धारा 305 बीएनएस तथा मु०अ०सं० 367/25 धारा 305(1)/62/324(3) बीएनएस पंजीकृत किया जा चुका है। उक्त अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उनके विरुद्ध आज दिनांक 03.10.2025 को थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 486/2025 धारा 310(4), 310(5) बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व के चोरी के मुकदमों का अनावरण कर अभियुक्तगण उपरोक्त को विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अभियुक्तों का विवरण –

1. बृजेश कुमार उर्फ प्रिंस बासफोर पुत्र स्व० रोहित बासफोर निवासी मानिकपुर असना थाना घोसी मऊ
2. गौरव यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी सिउरी प्रेमरजा थाना भीमपुरा जनपद बलिया
3. भगवान राजभर पुत्र भोला राजभर निवासी असढिया थाना भीमपुरा जनपद बलिया
4. सोनू राजभर पुत्र धनन्जय राजभर निवासी अजोरपुर थाना रामपुर जनपद मऊ
5. आर्यन यादव पुत्र रामध्यान यादव निवासी सेन्दुराईच थाना कोपांगज जनपद मऊ
6. प्रवीण यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी देवकली विशुनपुर थाना कोपांगज जनपद मऊ

पंजाकृत अभियोग –

1. मु०अ०सं० 486/2025 धारा अन्तर्गत धारा 310(4), 310(5) बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ
2. मु०अ०सं० 408/25 धारा 305 बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ
3. मु०अ०सं० 444/25 धारा 305 बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ

4.मु0अ0सं0 367/25 धारा 305(1)/62/324(3) बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ

बरामदगी-

- 1.एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर अभियुक्त बृजेश कुमार उर्फ प्रिंस बासफोर के कब्जे से
- 2.एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर अभियुक्त गौरव यादव के कब्जे से
- 3.चार जोडी पायल सफेद धातू मुकदमें से सम्बन्धित माल
- 4.दो जोडी विछिया सफेद धातू मुकदमें से सम्बन्धित माल
- 5.एक जोडी पीली धातू कान का छाला व 5000/ रु0 नगद मुकदमें से सम्बन्धित माल

आराधिक इतिहास -

- 1.बृजेश कुमार उर्फ प्रिंस बासफोर पुत्र स्व0 रोहित बासफोर निवासी मानिकपुर असना थाना घोसी मऊ
मु0अ0स0 069/2023 धारा 379, 411 भादवि दोहरीघाट मऊ
मु0अ0स0 142/2023 379, 411 भादवि घोसी
मु0अ0स0 157/2023 धारा 411, 413, 414, 420, 467, 468, भादवि थाना घोसी जनपद मऊ।
मु0अ0स0 160/2023 धारा 25,3 आयुध अधिनियम थाना घोसी जनपद मऊ .
मु0अ0स0 254/2023 धारी 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना घोसी मऊ ।
मु0अ0स0 78/25 धारा 9/25 आयुध अधिनियम 392, 414, 411 भादवि थाना घोसी मऊ ।
मु0अ0स0 569/25 धारा 25,3 आयुध अधिनियम थाना घोसी जनपद मऊ
मु0अ0स0 60/23 धारा 25,3 आयुध अधिनियम 34, 307 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ
मु0अ0स0 211/23 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ ।
मु0अ0स0 174/24 धारा 309(4). 317(3) वीएनएस थाना मधुबन जनपद मऊ ।
मु0अ0स0 177/24 धारा 25,3 आयुध अधिनियम थाना मधुबन जनपद मऊ ।
मु0अ0स0 111/22 धारा 323, 427, 504, 506 भादवि मुहम्मदाबाद मऊ ।
मु0अ0स0 10723 धारा 379, 411 भादवि थाना सरायलखन्सी मऊ ।
मु0अ0स0 68/25 धारा 109, 351(3), 352 बीएमएस थाना भीमपुरा बलिया ।
- 2.गौरव यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी सिउरी प्रेमरजा थाना भीमपुरा जनपद बलिया
मु0अ0स0 248/21 धारा 399, 402 भादवि थाना नगरा बलिया ।
मु0अ0स0 251/21 धारा 25,3 आयुध अधिनियम नगरा बलिया ।
- 3.भगवान राजभर पुत्र भोला राजभर निवासी असढिया थाना भीमपुरा जनपद बलिया
मु0अ0स0140/219 धारा 147, 148, 149, 323, 336, 341, 352, 504, 506 भादवि रेवती बलिया ।
मु0अ0स0 180/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम रेवती बलिया ।
- 4.सोनू राजभर पुत्र धनन्जय राजभर निवासी अजोरपुर थाना रामपुर जनपद मऊ
मु0अ0स0 43/23 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि रामपुर मऊ।
मु0अ0स0 54/24 धारा 323, 427, 504, 506 भादवि रामपुर मऊ ।
मु0अ0स0 30/25 धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस रामपुर मऊ ।
- 5.आर्यन यादव पुत्र रामध्यान यादव निवासी सेन्दुराईच थाना कोपांगज जनपद मऊ
निल
- 6.प्रवीण यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी देवकली विशुनपुर थाना कोपांगज जनपद मऊ

मु0अ0स0 141/21 धारा 171एच, 188 भादवि 3 महामारी अधिनियम कोपागंज मऊ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह
- 2.उ.नि.शंकर कुमार यादव
- 3.का0 राजित यादव
- 4.उ.नि.संजय कुमार उपाध्याय
- 5.उ.नि.पवन कुमार
- 6.उ.नि.प्रकाश कुमार
- 7.उ.नि. सूरज सिंह
- 8.उ.नि.आकाश श्रीवास्तव
- 9.उ.नि. दिनेश यादव
- 10.हे.का.रत्नाकर सिंह
- 11.का.रिकू कुमार
- 12.का.शैलेश कोरी
- 13.का.दिग्विजय
- 14.हे.का.शोएब आलम
- 15.हे.का.संदीप संगम
- 16.का.अखिलेश कुमार

02. एक शातिर चोर/बदमाश गिरफ्तार कब्जे 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व नगदी बरामद ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में थाना घोसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 03.10.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नदवासराय अन्डर पास से अभियुक्त गणेश राजभर पुत्र स्व0 रमाशंकर राजभर निवासी ग्राम कंधेली थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व चोरी की एक मोटरसाइकिल नम्बर UP 54 AQ 1134 व चोरी के माल से बिक्री कर 1000 रुपये बरामद कर गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

गणेश राजभर पुत्र स्व0 रमाशंकर राजभर निवासी ग्राम कंधेली थाना घोसी जनपद मऊ ।

पंजीकृत अभियोग-

- 1.मु0अ0सं0 485/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना घोसी जनपद मऊ
- 2.मु0अ0सं0 418/2025 धारा 305 ए, 317(2), बी.एन.एस थाना घोसी जनपद मऊ

बरामदगी-

- 1.एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 2.एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

3.चोरी की एक मोटरसाइकिल नम्बर UP 54 AQ 1134

4.चोरी के माल के बिक्री से मिले 1000रुपया बरामद

अराधिक इतिहास

गणेश राजभर पुत्र स्व0 रमाशंकर राजभर निवासी ग्राम कंधेली थाना घोसी जनपद मऊ ।

1 मु0अ0स0 562/16 धारा 302, 323, 427, 504 घोसी मऊ।

2 मु0अ0स0 905/16 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट घोसी मऊ ।

3 मु0अ0स0 408/24 धारा 115(2), 351(2) 64 घोसी मऊ।

4 मु0अ0स0 धारा 60 आबकारी अधिनियम घोसी मऊ।

5 मु0अ0स0 279/25 धारा 379, 411 भादवि मधुबन मऊ

6 मु0अ0स0 332/25 धारा 379, 411 भादवि मधुबन मऊ

7 मु0अ0स0 334/21 धारा 41, 411, 419, 420, भादवि मधुबन मऊ

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह

2.उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता

3.हे.का.अजय कुमार यादव

4.उ.नि.रवि कुमार

5.का.अमित कुमार

6.हे.का.विमलेश सिंह

7.का.दिलीप भरद्वाज

जनपद – बलिया

01. थाना भीमपुरा जनपद बलिया पुलिस द्वारा धर्म संपरिवर्तन अधिनियम से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद बाईबिल पुस्तक, 01 अदद पुरानी कापी तथा 02 अदद बैनर किया गया बरामद ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों/वांछित अभियुक्तों/वारण्टियों के खिलाफ चलाये जा रहे धर पकड़ के सघन अभियान के तहत श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) श्री दिनेश कुमार शुक्ला महोदय के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी रसड़ा श्री आलोक कुमार गुप्ता महोदय व थानाध्यक्ष भीमपुरा श्री हितेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना भीमपुरा पुलिस टीम को मिली सफलता ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.10.2025 को थाना भीमपुरा जनपद बलिया पर वादी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि ग्राम बाराडीह लवाईपट्टी मे विनोद कुमार पुत्र स्व0 परदेशी राम के द्वारा हरिजन बस्ती में कुछ बाहरी लोगो के साथ बस्ती के स्थानीय लोगो को एकत्र करके ईसाई धर्म का प्रचार- प्रसार के साथ कुछ सामाग्री आदि बांट रहे है और कह रहे कि ईसाई का धर्म अपनाने पर रुपया व नौकरी के साथ आवास मिलेगा तथा हिन्दू देवी-देवताओ का मूर्ति तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जिस सम्बन्ध में थाना भीमपुरा पर मु0अ0स0 0214/2025 धारा 196,299 बी.एन.एस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

विवेचना के क्रम में आज दिनांक 03.10.2025 को उ0नि0 अंकित यादव मय हमराह कां0 दुर्गेशचन्द्र यादव के द्वारा देखभाल क्षेत्र, पेण्डिंग विवेचना, तलाश वांछित करते हुए दौराने चेकिंग मु0अ0स0 0214/2025 धारा 196,299 बी.एन.एस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1.विनोद कुमार पुत्र परदेशी राम निवासी ग्राम बाराडीह लवाईपट्टी थाना भीमपुरा जनपद बलिया उम्र करीब 48 वर्ष को उसके घर ग्राम बाराडीह लवाई पट्टी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद बाईबिल पुस्तक, 01 अदद पुरानी इस्तेमाली कापी तथा 02 अदद बैनर बरामद कर थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय बलिया रवाना किया।

सम्बन्धित अभियोग-

1. मु0अ0स0 0214/2025 धारा 196,299 बी.एन.एस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना भीमपुरा जनपद बलिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.विनोद कुमार पुत्र परदेशी राम निवासी ग्राम बाराडीह लवाईपट्टी थाना भीमपुरा जनपद बलिया उम्र करीब 48 वर्ष।

बरामदगी-

01 अदद बाईबिल पुस्तक

01 अदद पुरानी कापी

02 अदद बैनर

02. थाना सुखपुरा जनपद बलिया पुलिस/मिशन शक्ति टीम द्वारा अपहरण से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता सकुशल बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के तहत अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम व धर पकड़/ गिरफ्तारी, तलाश वांछित अभियुक्त हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण, प्रभारी क्षेत्राधिकारी श्री सुधीर सिंह थाना सुखपुरा व प्रभारी निरीक्षक श्री सुशील कुमार दूबे के कुशल नेतृत्व में थाना सुखपुरा पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 03.10.2025 को थाना सुखपुरा पुलिस टीम के उ0नि0 भोला नाथ मय हमराह के मु0अ0सं0 232/2025 धारा 137(2),87 BNS की विवेचना तलाश वांछित अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि जरिए मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त रोहित कुमार गुप्ता पुत्र रमेश कुमार गुप्ता सा0 कुम्हिया थाना सुखपुरा जनपद बलिया उम्र 20 वर्ष को बैसहा पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त माननीय न्यायालय भेजा गया।

संबंधित अभियोग-

1. मु0अ0सं0-232/2025 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट थाना सुखपुरा जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

रोहित कुमार गुप्ता पुत्र रमेश

03. थाना उभांव जनपद बलिया पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद गमछा (हत्या के प्रयास में प्रयुक्त गमछा) को बरामद किया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी श्री दिनेश कुमार शुक्ला के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान्

क्षेत्राधिकारी महोदय रसड़ा श्री आलोक कुमार गुप्ता व प्रभारी निरीक्षक श्री संजय शुक्ल के कुशल नेतृत्व में थाना उभांव पुलिस को मिली सफलता ।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 03.10.2025 को थाना उभांव पुलिस टीम के उ0नि0 श्री सुधीर चौहान मय टीम के मु0अ0सं0 265/2025 धारा 109(1) बीएनएस की विवेचना तलाश वांछित अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि जरिए मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01नफर वांछित अभियुक्त बलवंत उर्फ बाना पुत्र नन्दू उर्म 24 वर्ष निवासी शाहकुण्डैल थाना उभांव जनपद बलिया को हाला नाला के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद गमछा (हत्या के प्रयास में प्रयुक्त गमछा) को बरामद किया गया । थाना स्थानीय पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त माननीय न्यायालय बलिया रवाना किया गया ।**सम्बन्धित अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 265/25 धारा 109(1) बीएनएस थाना उभांव बलिया

बरामदगी

01 अदद गमछा

गिरफ्तार अभि0 का नाम व पता-

1. बलवंत उर्फ बाना पुत्र नन्दू निवासी शाहकुण्डैल थाना उभांव जनपद बलिया

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुधीर चौहान थाना उभांव बलिया
2. का0 अरविन्द यादव थाना उभांव जपपद बलिया